न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–104/2013
CIS NO. TS-440/2018

काशी राउत..वादी

बनाम

मु0 शांति देवी एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
06.01.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 26.02.2019 को अंदर धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि प्रस्तुत वाद स्वत्व एवं दखल–कब्जा हेतु लाया गया है। प्रतिवादीगण इस वाद में हाजिर होकर अपना ब्यान तहरीरी दाखिल कर दिये है एवं दोनों पक्षों की ओर से मूल कागजात दाखिल है और वादी का साक्ष्य भी हो चुका है। यह वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु चल रहा है। इस वाद में दिनांक 11.06.2018 को वादी साक्ष्य बंद हो गया है, जो न्याय संगत नहीं है। वादी के तरफ से दाखिल मूल कागजात प्रदर्श करना बाकी रह गया है, जिसे प्रदर्श अंकित करना अति आवश्यक है। अगर वादी का कागजात प्रदर्श अंकित नहीं होता है तो वादी न्याय से वंचित रह जाएगा। लेहाजा वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिनांक 11.06.2018 को वापस लेकर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देना न्यायहित में आवश्यक है नहीं तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आदेश दिनांक 11.06.2018 को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु रिकॉल करने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–104/2013

CIS NO. TS-440/2018

काशी राउत..वादी

बनाम

मु0 शांति देवी एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 06.01.2026	होता है कि वाद अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद से संबंधित सभी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को अभिलेख पर रखा जाना चाहिए, जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः न्यायहित में आदेश दिनांक 11.06.2018 को रिकॉल करते हुए वादी का आवेदन दिनांक 26.02.2019 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। आगामी दिनांक 06.02.2026 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	